

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

1- सुरेश पुत्र जीवण कुमावत निवासी चारमील दौलतपुरा शिवपुरा तहसील शाहपुरा जिला
भीलवाड़ा

- वादी

बनाम

- 1-4 जीवण, शांति, लीला, नन्दा पिता जगन्नाथ कुमावत निवासी चारमील दौलतपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5-6 नारायण, कंचन पिता खेमराज कुमावत निवासी चारमील दौलतपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 7- ऐजन बेवा खेमराज कुमावत निवासी चारमील दौलतपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 8- गंगा देवी पत्नी मेवा लाल गुर्जर निवासी शिवपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 9- स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 10- राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 11- उप पंजीयक शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89, 92-क, 188 रा.टि.एक्ट

मुकदमा नम्बर 31/2017 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व
.....X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है। डिक्री दी
जाती है कि :-

अभिभाषक वादी द्वारा नोट प्रेस किया जाकर प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहने से वाद
वादी नोट प्रेस खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख
व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 13 माह 08 सन् 2025 को जारी की गई।



(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा